

4 -

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-21/2016-17

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो

बनाम

श्री प्रकाश गिरि

-: आदेश :-

27.08.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत श्री प्रकाश गिरि पिता श्री किशुन गिरि GA-27 City Centre sector-4 बोकारो बोकारो स्टील सिटी, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (मौजा सिजुआ थाना सं०-35 खाता सं०-16, प्लॉट सं०-2838 एवं 2839, रकबा-53.62 डी०) को गिरवी रखते हुए 40,00,000 / (चालीस लाख) रुपये का बैंक से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक-30.09.2015 को ही एन०पी०ए० हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया।

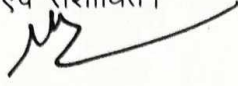
द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। नोटिस तामिलकर्त्ता द्वारा सूचित किया गया है कि "दिए गए पते पर जाकर द्वितीय पक्ष के संदर्भ में काफी खोज-बीन किया गया किन्तु कुछ भी पता नहीं चला। फलस्वरूप नोटिस बिना तामिला के ही वापस किया जाता है।" पुनः विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। उसके बाद भी वह सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।



वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।